वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जुलाई, 2011

सं. 40/2011-आय-कर

का.आ. 1763(अ).—आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (6ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा अधिसूचित करती है कि भारत की सुरक्षा से संबंधित एयरबोर्न अर्ली वार्निंग तथा नियंत्रण प्रणाली के लिए परामर्शी सेवाएं प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा मैसर्स इएडीएस डयूशलैन्ड जीएमबी एच के साथ दिनांक 22 जून, 2010 को निष्पन्न करार के अनुसरण में तकनीकी सेवाओं के लिए प्राप्त शुल्क के रूप में मैसर्स इएडीएस डयूशलैन्ड जीएमबी एच वर्थस्ट्रेबल 85,89077 यूएलएम जर्मनी को उद्भूत होने वाली कोई आय उक्त अधिनियम के अन्तर्गत उक्त कम्पनी की पूर्व वर्ष की कुल आय की संगणना में शामिल नहीं की जाएगी ।

[फा. सं. 200/3/2011-आ. क. नि.-I]

रमण चोपड़ा, निदेशक (आय-कर नि. I)